RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 21/2025 **GCMS NO:- 2025/123**

अपीलांटगण–

1. थानाराम पुत्र हाजाराम जाति कलबी, निवासी चौधरियों की ढाणी दांखा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री धर्माराम पुत्र हाजाराम
2 श्री गुणेशाराम पुत्र हाजाराम
3 श्री संतोष पुत्री अमराराम
4 श्री कृष्णाराम दतक पुत्र अमराराम
5 श्री रतनाराम पुत्र तेजाराम
6 श्री चैनाराम पुत्र तेजाराम जातियान कलबी, निवासीयान चौधरियों की ाणी दांखा, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/46 दिनांक 25.06.2024 जो तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री पूनमाराम चौधरी व रामदेव गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेंट संख्या 7 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 20.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/46 दिनांक 25.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दाखा, तहसील सिणधरी, के खेत खसरा संख्या 1890/906 रकबा 8.7709 हैक्टयर व खसरा संख्या 1943/1460 रकबा 7.9551 हैक्टयर मौजा चौधरियों की ढाणी, तहसील सिणधरी के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.06.2026 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का शाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/46 दिनांक 25.06.2024 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2025 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या की पैतृक भुमि मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दाखा, तहसील सिणधरी, के खेत खसरा संख्या 1890/906 रकबा 8.7709 हैक्टयर व खसरा संख्या 1943/1460 रकबा 7.9551 हैक्टयर मौजा चौधरियों की ढाणी, तहसील सिणधरी में अवस्थित है। रेस्पोडेन्टगण सं० 1 ता 6 ने अपीलांट को वादग्रस्त खेतो का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहमी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक पृथक खातेदारी अंकन करने का अपीलांट को कहा गया। जिस पर अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट सं० 1 ता 6 एक ही खानदान से होने से उन पर विश्वास करते हुए सहमति दी थी। जिस पर पटवारी ने समस्त खेतो का विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया गया। अपीलांट रेस्पोडेन्टगण व पटवारी के विश्वास पर रहा। रेस्पोडेन्टगण सं० 1 से 6 ने पटवारी से मिलावट कर उसको प्रभावित कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन समझौता प्रस्ताव संलग्न नक्शे पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अपीलांट को मुगालते में रखते हुए करवा के पटवारी ने रेस्पोडेन्ट सं० 7 तहसीलदार सिणधरी से तस्दीक करा दिया। वर्तमान में रेस्पोडेन्टगण सं० 1 द्वारा अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जाने लगा तो रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार काश्त नहीं कर वर्तमान नक्शे में की गई तरमीम के अनुसार कब्जा करने हेतु कहा गया, जिस पर अपीलांट को तरमीम के बारे में संशय पैदा हुआ तथा अपीलांट ने रेकर्ड की जांच की तो पता चला कि सहमति से विभाजन में तरमीम मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार नहीं की गई। पक्षकारान का कब्जा एक दूसरे के हिस्से में आ रहा है। यह आवश्यक है कि दो सहखातेदारान के मध्य जब भूमि का विभाजन किया जाये, तब भुमि की उर्वरा स्थिति पक्षकारान के कब्जा का ध्यान रखा जाना था, परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करते समय तहसीलदार सिणधरी ने इन अहम मुद्धो को अनदेखा कर विधिक भूल की है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट व रेस्पोडेन्टगण सं० 1 से 6 के मध्य पूर्व में हुए बाहामी बंटवाड़े के अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व वर्तमान मौके पर कब्जा काश्त में भारी भिन्नता है। विभाजन प्रस्ताव नक्शा में अपीलांट के कब्जा काश्त का आधा हिस्सा रेस्पोडेण्ट सं० 1 के हिस्से के नक्शे में दर्शाया गया और रेस्पोडेण्ट सं 1 के रहवासी ढाणी व चारागह अपीलांट के हिस्से में आई भूमि के नक्शे में आ गये। आवागमन रास्ता हेतु सभी

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

सहखातेदार को समान अनुपात में भूमि कम नहीं की जाकर केवल अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के हिस्से की भूमि कम कर दी गई। पक्षकारान के उक्त खेत के दोनो तरफ सरकारी कटाण रास्ता है। पक्षकारान के अपने हिस्सों में आवागमन के रास्ता हेतु अपीलांट व रेस्पोडेण्टगण सभी की सामलाती भूमि दर्शानी थी, परन्तु अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 के हिस्से में से भूमि कम करके रकबा 0.0486 हेक्टेयर भूमि रास्ता हेतु दर्शायी गई है। अपीलाधीन विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जें के अनुसार नहीं किया गया है। मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के विपरीत व भिन्नता में तरमीम नक्शे में दर्शायी गई है। जबकि पक्षकारान के मौके पर कब्जे के अनुसार ही तरमीम किया जाना न्याय संगत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 1 ने मौका कब्जा की जांच नहीं किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दाखा, तहसील सिणधरी, के खेत खसरा संख्या 1890/906 रकबा 8.7709 हैक्टयर में संशोधन करने हेतु उक्त आलोच्य विभाजन आदेश को निरस्त रखते हुए पुनः नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 को इस प्रकरण के अपील में अपीलांट द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं आधारों पर अपना जवाब/बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 6 द्वारा जवाब/कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा इन्द्रनगर पटवार मण्डल दाखा, तहसील सिणधरी, के खेत खसरा संख्या 1890/906 रकबा 8.7709 हैक्टयर व खसरा संख्या 1943/1460 रकबा 7.9551 हैक्टयर मौजा चौधरियों की ढाणी, तहसील सिणधरी के खातेदारान अपीलांटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.06.2026 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/46 दिनांक 25.06.2024 पारित किया गया। चूंकि पक्षकारान की मुख्य आपत्ति है कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है, जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट के कथनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिणधरी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश आदेश क्रमांक/भू.अ./2024/46 दिनांक 25.06.2024 को आंशिक अपास्त किया जाता है। लिहाजा प्रकरण तहसीलदार सिणधरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि खसरा संख्या 1943/1460 रकबा 7.9551 हैक्टयर को यथावत रखते हुए खसरा संख्या 1890/906 रकबा 8.7709 हैक्टयर की मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए एव पक्षकारों को सुनकर पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा